२५.०१.२०१८

पत्रावली पेश हुयी ।

पुकार पर अभियुक्त अनिल कुमार उर्फ छोटे लाल तिवारी की ओर से कोई उपस्थित नहीं आया ।

गवाह सी०डब्लू०-१ एच.सी. राम सजीवन पाल उपस्थित आये ।

अभियुक्त अनिल कुमार उर्फ छोटे लाल तिवारी की मृत्यु रिपोर्ट थाना कल्यानपुर से प्रस्तुत की गयी जिसके संबंध में एच.सी. राम सजीवन पाल ने बतौर सी०डब्लू०-१ न्यायालय में उपस्थित होकर न्यायालय में सशपथ बयान दिया कि अ०सं० १६४/०१, धारा २/३ गैंगेस्टर अधिनियम, बनाम अनिल कुमार उर्फ छोटे लाल तिवारी आदि , थाना कल्यानपुर, जिला फतेहपुर के अभियुक्त अनिल कुमार उर्फ छोटे लाल तिवारी पुत्र सनद कुमार तिवारी निवासी ग्राम रामपुर थाना हथगाम जिला फतेहपुर की फौती आख्या कॉ०अखिलेश कुमार द्वारा दी गयी है जो मेरे साथ तैनात रहे हैं मैनें उन्हें लिखते पढते देखा है लेख व हस्ताक्षर पहचानता हूँ । पत्रावली में शामिल फौती आख्या अभियुक्त अनिल कुमार उर्फ छोटे लाल तिवारी प्रधान ग्राम पंचायत अमिलिहापाल के मृत्यु प्रमाण पत्र के आधार पर दी गयी है कि अभियुक्त उपरोक्त की मृत्यु हो गयी है आख्या का०अखिलेश कुमार के लेख व हस्ताक्षर में है जिसपर प्रदर्श क-१ डाला गया है । इस प्रकार से विशेष सत्र परीक्षण संख्या ३ सन् २००२, मुकदमा अपराध संख्या-१६४/०१, अन्तर्गत धारा २/३ गैंगेस्टर अधिनियम, थाना कल्यानपुर, जिला फतेहपुर में वॉछित अभियुक्तअनिल कुमार उर्फ छोटे लाल तिवारी की मृत्यु रिपोर्ट को साबित किया जा चुका है जिससे स्पष्ट होता है कि उपरोक्त अपराध में वॉछित अभियुक्त अनिल कुमार उर्फ छोटे लाल तिवारी की मृत्यु दौरान मुकदमा हो चुकी है ऐसी स्थिति में अभियुक्त अनिल कुमार उर्फ छोटे लाल तिवारी के विरुद्ध विचारण हेतु लम्बित् उपरोक्त सत्र परीक्षण मुकदमें अबेट किये जाने योग्य हैं ।

आदेश

अभियुक्त अनिल कुमार उर्फ छोटे लाल तिवारी के विरुद्ध विचारण हेतु लम्बित् विशेष सत्र परीक्षण संख्या ३ सन् २००२, मुकदमा अपराध संख्या-१६४/०१, अन्तर्गत धारा २/३ गैंगेस्टर अधिनियम, थाना कल्यानपुर, जिला फतेहपुर, अबेट किया जाता हैं ।

पत्रावली दिनांक २२.०२.२०१८ को वास्ते शेष साक्ष्य के पेश हो ।

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/
फास्ट ट्रैक, न्यायालय संख्या-१,
फतेहपुर ।

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, न्यायालय संख्या-९ फतेहपुर ।

सत्र परीक्षण संख्या- ११६ सन् २०१४

राज्य ----------प्रति --------रामू शुक्ला आदि ।

अपराध सं०-८६/२०११
धारा-३७९,४११भा.दं.सं.
थाना-हथगांम,
जिला-फतेहपुर ।

<u>२३.०८.२०१६</u>

पत्रावली पेश हुयी ।

पुकार पर अभियुक्त अधिवक्ता उपस्थित है ।

अभियुक्त संतोष की फौती आख्या थाना हथगांम से प्राप्त हुयी जिसके समर्थन में प्रधान ग्राम पंचायत मऊपारा, विकास खण्ड हथगाम तहसील खागा-फतेहपुर, का प्रमाण पत्र ४२अ/२ पत्रावली में संलग्न है, जिसमें कहा गया है कि संतोष कुमार पुत्र ननकू रामग्राम आलीमऊ मजरे मऊपारा, थाना हथगांम , जिला फतेहपुर की मृत्यु लगभग छः माह पूर्व हो चुकी है । इस सम्बन्ध में उक्त प्रमाण पत्र को साबित करने हेतु ग्राम प्रधान ग्राम पंचायत मऊपारा श्री अनिल कुमार, ने बतौर सी०डब्लू०-१ न्यायालय में उपस्थित होकर न्यायालय में सशपथ् बयान दिया कि अभियुक्त शामिल मिसिल कागज संख्या ४२अ/३ अभियुक्त संतोष मृतक के पिता ननकूराम ने दिनांक २८.६.२०१६ को लिखित तहरीर कि मेरा लडका छः माह पूर्व मृत्यु हो चुकी है, के आधार पर शामिल मिसिल कागज संख्या ४२अ/२ प्रमाण पत्र (मृत्यु प्रमाण पत्र) मेरे द्वारा जारी किया गया है जो मेरे हस्तलेख व हस्ताक्षर में है इसे गवाह द्वारा प्रमाणित किया गया है । इसी प्रकार से प्रस्तुत गवाह सी०डब्लू०-२ एच.सी.पी. प्यारे लाल यादव थाना हथगांम जिला फतेहपुर ने शपथ बयान किया है कि दिनांक २९.६.१६ को शामिल मिसिल कागज संख्या ४२अ/२ व ४२अ/३ के आधार पर अभियुक्त संतोष पुत्र ननकूराम निवासी आलेमऊ थाना हथगॉव, फतेहपुर (मृतक) की मृत्यु रिपोर्ट न्यायालय में प्रस्तुत की गई है । प्रस्तुत

रिपोर्ट मेरे हस्तलेख व हस्ताक्षर में है । कागज संख्या ४२/१ थानाध्यक्ष हथगांव द्वारा न्यायालय में प्रेषित की गई है । इस प्रकार से थानाध्यक्ष हथगांम की रिपोर्ट ४२अ/१ व प्रधान की रिपोर्ट कागज संख्या ४२अ/२ साबित किया गया है । इस प्रकार से सत्र परीक्षण संख्या ११६ सन् २०१४, मुकदमा अपराध संख्या ८६/११, अन्तर्गत धारा ३७९,४११ भा०दं०सं० थाना हथगांम जिला फतेहपुर में वॉछित अभियुक्त संतोष कुमार की मृत्यु रिपोर्ट को भी साबित किया जा चुका है जिससे स्पष्ट होता है कि उपरोक्त अपराध में वॉछित अभियुक्त संतोष कुमार की मृत्यु दौरान मुकदमा हो चुकी है ऐसी स्थिति में अभियुक्त संतोष कुमार के विरुद्ध विचारण हेतु लम्बित् उपरोक्त सत्र परीक्षण मुकदमें अबेट किये जाने योग्य हैं ।

२

आदेश

अभियुक्त संतोष कुमार के विरुद्ध विचारण हेतु लम्बित् सत्र परीक्षण संख्या ११६ सन् २०१४, मुकदमा अपराध संख्या ८६/११, अन्तर्गत धारा ३७९,४११ भा०दं०सं० थाना हथगांम जिला फतेहपुर, अबेट किया जाता हैं ।

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
कोर्ट सं०-९,फतेहपुर ।
२३.०८.२०१६